

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्य प्रदेश

क्रमांक/आईडीएसपी/2020/ 6 | ७

भोपाल दिनांक ०६/०५/२०२०

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त कलेक्टर
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

मध्य प्रदेश

विषय : कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रबंधन हेतु पुनरीक्षित दिशा निर्देश ।

कोविड-19 वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की पहचान किया जाना आवश्यक है जिससे कि इन क्षेत्रों को क्रिटिकल हस्तक्षेप हेतु केंद्रित करते हुए कोविड-19 का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। पूर्व में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जिन जिलों को हॉटस्पॉट/रेड जोन, ऑरेंज झोन एवं ग्रीन झोन के रूप में चिह्नित करते के लिये प्रारंभिक तौर पर उस जिले में कोविड-19 प्रभावित मरीजों की संख्यी संख्या तथा मरीजों की संख्या के दोगुनी होने की दर किया गया था उसका प्रारंभिक आधार को आधार माना गया थी। वर्तमान में जिलों में कोविड-19 प्रभावित मरीजों के ठीक होने की दर में काफी वृद्धि हुई है अतः जिलों को विभिन्न झोन के तहत चिह्नित करने के लिए निर्धारित मानदंड को व्यापक बनाया गया है। जिलों का विभिन्न झोन में वर्गीकरण बहु कारकों पर आधारित है इसके तहत जिले में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के डबल होने की दर, जांच की सीमा एवं सर्विलेंस का फीडबैक भी सम्मिलित है। किसी जिले को ग्रीन जोन के रूप में केवल उस स्थिति में ही चिह्नित किया जाएगा जब वहां अभी तक किसी भी कोविड-19 केस की पुष्टि नहीं हुई हो अथवा विगत 21 दिनों के दौरान जिले में कोई भी कोविड-19 का मामला दर्ज नहीं हुआ हो।

2/ झोन के रूप में वर्गीकरण - भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न झोन के तहत चिह्नित जिलों की सूची जारी की गई है, यह सूची परिवर्तनशील है तथा साप्ताहिक आधार पर इसे पुनरीक्षित किया जाएगा जिससे कि इसके अनुरूप भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार विभिन्न झोन के तहत प्रदेश के जिलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

जिलों में कंटेनमेंट झोन को निम्नानुसार निरूपित किया गया है:-

- मामलों एवं संपर्कों की मेपिंग के आधार पर
- मामलों एवं संपर्कों के भौगोलिक फैलाव के आधार पर
- क्षेत्र के पूर्ण सीमांकन की परिमाप के आधार पर
- प्रवर्तनीयता (Enforceability) के आधार पर

ब. कंटेनमेंट झोन की सीमा में शहरी क्षेत्र की आवासीय कॉलोनी/ मोहल्ला/ नगर पालिका वार्ड/नगर पालिका झोन/ पुलिस स्टेशन क्षेत्र/ कस्बा आदि तथा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम/ ग्रामों का समूह अथवा पुलिस स्टेशनों का समूह/ग्राम पंचायत/ विकासखंड आदि सम्मिलित होंगे।

6/ नगर निगम क्षेत्र के लिये झोन का निर्धारण - रेड अथवा ऑरेंज झोन के रूप में वर्गीकृत जिले में एक या एक से अधिक नगर निगम क्षेत्र हो सकते हैं ऐसी स्थिति में राज्य एवं जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम की सीमा में एवं नगर निगम सीमा के बाहर स्थित मामलों को विभाजित करने एवं नगर निगमों को विभिन्न झोन्स में वर्गीकृत करने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था होगी-

अ. यदि जिला रेड झोन के रूप में वर्गीकृत है और जिले के अंदर किंतु नगर निगम की सीमा के बाहर विगत 21 दिनों के दौरान कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर जिले का वह भाग ऑरेंज झोन के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यद्यपि सभी आवश्यक सावधानियां ली जानी चाहिए जिससे कि ये क्षेत्र कोविड-19 वायरस के संक्रमण से मुक्त रहें।

ब. यदि जिला ऑरेंज झोन के रूप में वर्गीकृत है और जिले के अंदर किंतु नगर निगम की सीमा के बाहर विगत 21 दिनों के दौरान कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर जिले का वह भाग ग्रीन झोन के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यद्यपि आवश्यक सावधानियां ली जानी चाहिए जिससे कि ये क्षेत्र कोविड-19 वायरस के संक्रमण से मुक्त रहें।

स. यदि जिले के अंदर किंतु नगर निगम की सीमा के बाहर विगत 21 दिनों के दौरान एक अथवा अधिक पुष्ट मामले सामने आए हो तो नगर निगम क्षेत्र भी जिले के वर्गीकरण के अनुरूप रेड अथवा ऑरेंज झोन के रूप में ही चिह्नित किया जाए।

द. झोन के वर्गीकरण के निर्धारण में मामला किस क्षेत्र का है यह मामले के उत्पन्न होने के स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाए ना कि जिस स्थान पर उपचार दिया जा रहा है।

7/ कंटेनमेंट झोन की परिसीमा का निर्धारण - जिला प्रशासन/ स्थानीय शहरी निकाय से क्षेत्र विशेष की स्थानीय रूप से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर क्षेत्र को यथोचित रूप से

नामित किया जा सकता है। कंटेनमेंट झोन की परिसीमा का निर्धारण संलग्न प्रपत्र-1 में दिये गये विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रभावी कंटेनमेंट के महत्व को देखते हुए सावधानी बरतने में किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं छोड़ी जानी चाहिए, प्रत्येक कंटेनमेंट जोन के आसपास एक बफर जोन का भी सीमांकन किया जाना चाहिए।

8/ कंटेनमेंट झोन के अंदर प्रोटोकॉल - कंटेनमेंट जून में के अंदर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट एसपी उल्लेख अनुरोध सर्विलेंस तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। रेड एवं ऑरेंज कंटेनमेंट झोन में सर्वाधिक सावधानी की आवश्यकता है, इनमे परिमाप नियंत्रण का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए जिससे कि कंटेनमेंट झोन के अंदर एवं बाहर लोगों की आवाजाही चिकित्सकीय आकस्मिकता एवं अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अलावा ना हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कंटेनमेंट कार्य योजना के भाग के रूप में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए:-

- परिमाप (Perimeter) नियंत्रण का कठोरता से पालन
 - प्रवेश एवं निर्गम पॉइंट का स्पष्ट निर्धारण
 - लोगों को जांच किए बिना अंतः प्रवेश नहीं दिया जाना
 - झोन के अंदर एवं बाहर लोगों की आवाजाही चिकित्सकीय आकस्मिकता एवं अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अलावा ना हो
 - पारगमन (Transiting) करने वाले लोगों की प्रविष्टि करना एवं आईडीएसपी के द्वारा उनका पीछा (Follow) करना
- विशेष जांच दल का गठन कर घर-घर जाकर सर्विलेंस के माध्यम से मामलों की सक्रिय खोज करना
- दिशानिर्देशों के अनुरूप समस्त नमूनों की जांच करना
- संपर्क मामलों की निशानदेही करना
- सभी पुष्ट मामलों का नैदानिक प्रबंधन करना
- स्थानीय अधिकारी द्वारा आरोग्य सेतु एप की पहुंच झोन के शत-प्रतिशत रहवासियों तक सुनिश्चित की जाना चाहिए
- लोगों को परामर्श देना, शिक्षित करना एवं प्रभावी संचार रणनीति बनाना

9/ बफर जोन - बफर जोन में स्वास्थ्य संस्थाओं में सघन सर्विलेंस के माध्यम से आईएलआई (Influenza Like Illness)/ एसएआरआई (Severe Acute Respiratory Illness) मामलों की पहचान कर उनकी जांच कराना सुनिश्चित किया जाए। बफर झोन के बाहर भी सर्विलेंस के माध्यम से

इंफ्लूएलआई (Influenza Like Illness) / एसएआरआई (Severe Acute Respiratory Illness) मामलों की पहचान कर उनकी जांच कराना सुनिश्चित की जाना चाहिए।

- 10/ कंटेनमेंट झोन को समाप्त करना - कंटेनमेंट झोन में अंतिम पुष्ट मामला मिलने के बाद निरंतर 3 सप्ताह तक लैब द्वारा पुष्ट कोई मामला नहीं मिलने पर तथा उस प्रजिटिव मामले के सारे संपर्कों का 21 दिन तक फालो अप पूरा होने पर कंटेनमेंट प्लान एवं गतिविधियों को बंद कर कंटेनमेंट झोन को समाप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

fair mind
(फैज अहमद किदवई)

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं

मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 06/05/2020

पृ० क्रमांक/आईडीएसपी/2020/ 6 ॥

प्रतिलिपि: कृपया सूचनार्थ प्रेषित -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश।
6. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
7. प्रभारी, कोविड-19 नियन्त्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश।

fair mind
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश

कंटेनमेंट झोन की परिसीमा का निर्धारण

क्र	स्तर	संक्रमित मरीज़ और संपर्क / कांटैक्ट की मैथिंग	कांटैक्ट/ संपर्क जानकारी की विश्वसनीयता	केस और कांटैक्ट का भौगोलिक विस्तार	स्पाइ परिसीमा	कंटेनमेंट कार्यान्वयन की संभावितता	कंटेनमेंट झोन
1	घर	केवल एक केस और उसके सिमित संपर्क	विश्वसनीय	केस और उनके संपर्क एक ही घर में रहते हैं	बंगला या अकेला घर या मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं तो सम्पूर्ण अपार्टमेंट	संभव है	बंगला या अकेला घर है तो वह, या मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं तो सम्पूर्ण अपार्टमेंट
2	घर	केवल एक केस और उसके संपर्क	अविश्वसनीय	केस और उनके संपर्क एक ही घर में रहते हैं, लेकिन और अन्य संपर्क भी होने की संभावना है	प्रभावित घर कोलोनि या मोहल्ले की एक गली में है	संभव है	प्रभावित घर को केंद्र मानते हुए सभी दिशाओं में उसके निकटतम अन्य घर
3	घर	एक या अधिक केस लेकिन एक घर से	विश्वसनीय	सारे केस और उनके संपर्क एक ही घर में रहते हैं	बंगला या अकेला घर या मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट	संभव है	बंगला या अकेला घर है तो वह, या मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं तो सम्पूर्ण अपार्टमेंट
4	घर	एक या अधिक केस लेकिन एक घर से	अविश्वसनीय	पड़ोस में बहुत सारे कांटैक्ट होने की संभावना अधिक है	कंपाउंड वाली रेसीडेंट कोलोनी या मोहल्ला	संभव है	अगर कंपाउंड वाली रेसीडेंट कॉलोनी है तो उसे कंटेनमेंट झोन बनाया जाए। अगर खुला मोहल्ला है तो संक्रमित घर को केंद्र मानकर, चारों दिशाओं में आसपास के १०० घरों तक को सम्मिलित करते हुए कंटेनमेंट झोन बनाए।

क्र स्तर	संक्रिमित मरीज़ और संपर्क / कार्टैक्ट की मैटिंग	कार्टैक्ट/ संपर्क जानकारी की विश्वसनीयता	केस और कार्टैक्ट का भौगोलिक विस्तार	स्पष्ट परिसीमा	कंटेनमेंट कार्यान्वयन की संभावितता	कंटेनमेंट ज्ञान
5 रिसीडेंट कोलोनी या मोहल्ला	एक ही कोलोनी या मोहल्ले में दो या अधिक केस जो एक दूसरे के संपर्क से सम्बंधित हैं और एक घर में नहीं रहते	विश्वसनीय	सारे केस और कार्टैक्ट ट्रेस हो गए हैं और वह एक ही मोहल्ले में या कोलोनी में रहते हैं	कॉलोनी या मोहल्ले का ऐसा हिस्सा जिसकी स्पष्ट सीमा हो जैसे रास्ता	संभव है	प्रभावित घर को केंद्र मानते हुए सभी दिशाओं में उसके निकटम अन्य घर उस कॉलोनी या मोहल्ले के हिस्से की स्पष्ट सीमा तक कंटेनमेंट ज्ञान में सम्मिलित करे
6 रिसीडेंट कोलोनी या मोहल्ला	एक ही कोलोनी या मोहल्ले में दो या अधिक केस हैं जिनका एपीडेमीयोलोजिक लिंक नहीं है	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	सारे केस और कार्टैक्ट ट्रेस हो गए हैं और वह एक ही मोहल्ले में या कोलोनी में रहते हैं	कॉलोनी या मोहल्ले का ऐसा हिस्सा जिसकी स्पष्ट सीमा हो जैसे रास्ता या खुला मोहल्ला	संभव है	अगर कंपाउंड वाली रेसीडेंट कॉलोनी है तो उसे कंटेनमेंट ज्ञान बनाया जाए। अगर खुला मोहल्ला है तो संक्रिमित घर को केंद्र मानकर, चारों दिशाओं में आसपास के २०० घरों तक को सम्मिलित करते हुए कंटेनमेंट ज्ञान बनाए।
7 निगम वार्ड	जिस वार्ड में पहले से कंटेनमेंट ज्ञान है, वहाँ कंटेनमेंट ज्ञान के बाहर की कोलोनी में नया केस मिला है, एपीडेमीयोलोजिक लिंक स्थापित है	क्र १ से ६ के स्तर में से उचित चुनकर निर्णय करे			संभव है	

क्र	स्तर	संक्षिप्त भरीज़ और संपर्क / कांटैक्ट की मैटिंग	कांटैक्ट/ संपर्क जानकारी की विश्वसनीयता	केस और कांटैक्ट का भौगोलिक विस्तार	स्पष्ट परिसीमा	कंटेनमेंट कार्यान्वयन की संभवितता	कंटेनमेंट ज्ञान
8	निगम वार्ड	जिस वार्ड में पहले से एक कंटेनमेंट ज्ञान है, वहाँ कंटेनमेंट ज्ञान के बाहर की कोलोनी में दो या अधिक केस मिले हैं, एपीडेमोयोलोजिक लिंक स्थापित नहीं होता है।	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	सारे केस और कांटैक्ट एक वार्ड के अंदर रहते हैं	वार्ड की सारी प्रभावित कोलोनी को सम्मिलित करती हुई स्पष्ट सीमा (रास्ता) है अथवा पोलिस स्टेशन या वार्ड की सीमा	संभव है	वार्ड की सारी प्रभावित कोलोनी को सम्मिलित करती हुई स्पष्ट सीमा (रास्ता) है अथवा पोलिस स्टेशन या वार्ड की सीमा
9	निगम वार्ड	जिस वार्ड में पहले से दो या अधिक कंटेनमेंट ज्ञान है, वहाँ कंटेनमेंट ज्ञान के बाहर की कोलोनी में दो या अधिक केस मिले हैं।	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	सारे केस और कांटैक्ट एक वार्ड के अंदर रहते हैं	निगम के वार्ड की सीमा अथवा सारे प्रभावित इलाके को सम्मिलित करनेवाली रास्तों की सीमा या पोलिस स्टेशन की सीमा	संभव है	संपूर्ण निगम वार्ड अथवा पोलिस स्टेशन की सीमा
10	गाँव	क्र १ से ४ का स्तर	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	केस और उनके संपर्क एक ही घर में रहते हैं	गाँव का ऐसा हिस्सा जो रास्ता या किसी अन्य सीमा से बाकी गाँव से अलग है	संभव है	गाँव का ऐसा हिस्सा जो रास्ता या किसी अन्य सीमा से बाकी गाँव से अलग है
11	गाँव	गाँव में दो या अधिक केस	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	केस और उनके संपर्क एक ही गाँव में रहते हैं	गाँव की सीमा	संभव है	संपूर्ण गाँव

क्र स्तर	संक्षिप्त मरीज़ और संपर्क / कॉटेक्ट की मैपिंग	कॉटेक्ट/ संपर्क जानकारी की विश्वसनीयता	केस और कॉटेक्ट का भौगोलिक विस्तार	स्पष्ट परिसीमा	कंटेनमेंट कार्यालयन की संभावितता	कंटेनमेंट जोन
12 ग्राम पंचायत	एक ग्राम पंचायत के दो या अधिक गाँवों में केस मिले हैं	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	केस और उनके संपर्क एक ग्राम पंचायत के गाँव में रहते हैं	ग्राम पंचायत की सीमा जो उसके अंतर्गत आनेवाले गाँवों को सम्मिलित करती हो	संभव है	ग्राम पंचायत की सीमा जो उसके अंतर्गत आनेवाले गाँवों को सम्मिलित करती हो
13 ब्लॉक	एक ब्लॉक के दो या अधिक ग्राम पंचायत के अंदर आनेवाले गाँवों में केस मिले हैं	विश्वसनीय / अविश्वसनीय	केस और उनके संपर्क एक ब्लॉक के गाँव में रहते हैं	ब्लॉक की सीमा	संभव है	गाँवों का संकुल (Cluster) अथवा ग्राम पंचायत की सीमा